परिपत्र सं. 264/10/2026- जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या-16039, कर्तव्य भवन
नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96(10) के विलोपन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी नियम" कहा जाएगा) के नियम 96(10) के विलोपन की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस संबंध में कर अधिकारियों के साथ-साथ करदाताओं द्वारा यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि न्यायालयों के इन निर्णयों के मद्देनज़र, अधिसूचना संख्या 20/2024-केंद्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से दिनांक 08.10.2024 से प्रभावी किए गए सीजीएसटी नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के विलोपन को क्या न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार दिनांक 23.10.2017 (जिस दिन से इसे प्रभावी किया गया था) से पूर्वव्यापी रूप से लागू माना जाएगा।

2. इस मामले की जांच की गई है। क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी

अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करता है:

3. निर्यातकों को दोहरे लाभ से रोकने के उद्देश्य से सीजीएसटी नियमों में नियम 96(10) को दिनांक 23.10.2017 से लागू किया गया था, ताकि ऐसे निर्यातक, जिन्होंने निर्दिष्ट अधिसूचनाओं के अंतर्गत खरीद पर आईजीएसटी से छूट का लाभ प्राप्त किया है, उन वस्तुओं के निर्यात पर आईजीएसटी के रिफंड का दावा भी न कर सकें। दिनांक 09.09.2024 को आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में, नियम 96(10) के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन मामलों में निर्यातकों को निर्यात पर रिफंड प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ इनपुट पर निर्दिष्ट रियायती/छूट संबंधी अधिसूचनाओं का लाभ लिया गया था, सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) को दिनांक 08.10.2024 से भावी प्रभाव से हटा दिया गया। यह विलोपन सीजीएसटी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से किया गया, जिसे अधिसूचना संख्या 20/2024-जीएसटी, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 06.08.2026 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 24550/2025, मेसर्स गुडलक इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा इससे संबंधित अन्य मामलों में दिए गए निर्णय की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है कि सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) के विलोपन के साथ किसी सेविंग क्लॉज़ अथवा सनसेट क्लॉज के अभाव में, उक्त विलोपन उन सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा जो विलोपन की तिथि को लंबित थीं।

5. मेसर्स गुडलक इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा कोल्हापुर केनशुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया [(2000) 2 SCC 536] मामले में दिए गए निर्णय का आधार लिया, जिसमें यह माना गया था कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 किसी नियम के विलोपन पर लागू नहीं होती है। माननीय न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि जब किसी नियम का विलोपन कर दिया जाता है, तो लंबित कार्यवाहियाँ केवल तभी जारी रह सकती हैं,

जब उनके जारी रहने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान किया गया हो, अथवा ऐसी कार्यवाहियों को संरक्षित रखने के लिए अधिनियम/नियमों में कोई विधिक व्यवस्था सम्मिलित की गई हो।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के मद्देनज़र, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) का उक्त विलोपन दिनांक 23.10.2017 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा। तदनुसार, क्षेत्रीय संरचनाओं को सलाह दी जाती है कि वे नियम 96(10) से संबंधित लंबित कार्यवाहियों का निपटारा उक्त निर्णय के अनुसार करें। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इसी प्रकार की प्रक्रिया, आवश्यकतानुसार परिवर्तन सहित, नियम 89(4A) और 89(4B) के विलोपन के संबंध में भी लागू होगा।

7. अनुरोध है कि इस परिपत्र की बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

8. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)